राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3877/2025

नवाब लाल मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, सिरोही
4. प्रधानार्चाय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोरस, पिण्डवाला, जिला सिरोही।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.08.2025
आदेश की दिनांक : 26.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–1 के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोरस, पिण्डवाडा जिला सिरोही में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति चयन प्रक्रिया अपनाकर प्रयोगशाला सहायक के पद पर वर्ष 1993 में हुई थी। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 02.01.1993 को कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.07.1993 से सेवाओं की गणना करते हुए दिया गया। जबकि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.01.1993 से सेवाओं की गणना करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए था। साथ ही अपीलार्थी को वर्ष 1993 में दिनांक 15.05.1993 से दिनांक 30.06.1993 तक के ग्रीष्मावकाश के वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया। जबकि अन्य कर्मचारियों को जो अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे, उनकों प्रत्यर्थी विभाग के विभिन्न आदेशों द्वारा ग्रीष्मावकाश का वेतन देते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई है तथा प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुए चयनित वेतनमान के लाभ दिये गये है तथा अपीलार्थी को उक्त लाभ प्रदान नहीं किया गया है, जो विभेदकारी है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को भी दिनांक 02.01.1993 से सेवाओं की गणना करते हुए ग्रीष्मावकाश का वेतन दिया

जावे तथा जुलाई 1993 से वार्षिक वेतन वृद्धियां देते हुए चयनित वेतनमान का भुगतान प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुए दिलाया जायें।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य